भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3218

(दिनांक 16.03.2016 को उत्तर के लिए)

भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का निपटारा

3218. श्री मलयाद्रि श्रीराम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के त्वरित निपटारे हेतु कोई निदेश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सतर्कता अधिकारियों के कार्यालयों में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले निपटारे हेतु लंबित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) मंत्रालयों/विभागों/संगठनों इत्यादि की सतर्कता प्रशासन का स्वयं अधीक्षण करते हुए मंत्रालय/विभाग/संगठन इत्यादि के पास लंबित पड़ी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों और अनुशासनिक कार्यवाहियों पर शीघ्र कार्रवाई करने एवं अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर बल देता रहा है।

(ख) से (ग) : निपटान के लिए लंबित भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की संख्या के संबंध में केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सीवीसी ने सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) को छह माह से अधिक समय से लंबित सभी मामलों को प्राथमिकता आधार पर अंतिम रूप देने के लिए कहा है तथा आयोग ऐसे कार्य की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा और निगरानी करता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दिनांक 09.06.1995 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11018/3/94-एआईएस-III द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में सूचना देने के लिए तौर-तरीके जारी किए थे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दिनांक 18.10.2013 एवं 18.06.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 104/76/2011-एवीडी-I द्वारा मंत्रालयों/विभागों में शिकायतों का निपटान करने के संबंध में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

सचिव (डीओपीटी) की अध्यक्षता वाली समिति भी तिमाही आधार पर अभियोजन की मंजूरी के विलंबित सभी मामलों की स्थिति की निगरानी करती है तथा विलंबित मामलों को शीघ्रतापूर्वक सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाती है। अन्य केन्द्रीय सेवाओं/संवर्गों के संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण को भी उन सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक मामलों की आवधिक रूप से निगरानी करने के निदेश दिए गए हैं।

*****